



उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम
(UPCOS)

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ	3
2	समाधान (Solutions)	5
3	निगम के उद्देश्य	6
4	परिणाम (Outcomes)	7
5	आगलाइजेशन स्ट्रक्चर	11
6	श्रेणी-पदवार	17
7	चयन प्रक्रिया	18

वर्तमान स्थिति एवं समस्यायें

1. सरकार द्वारा विभागों/संस्थाओं को कांट्रैक्ट/मानदेय/आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवायें ली जा रही हैं।
2. कांट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से बनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से प्राप्त होता है।
3. आउटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, यह भी समय से नहीं मिलता है।
4. कार्मिकों का चयन करते समय एवं नवीनीकरण के समय धन वसूली/शोषण की शिकायतें हैं।
5. EPF तथा ESI खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किये जाने की शिकायतें हैं।
6. प्रत्येक वर्ष एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का EPF/ESI/GST की बनराशि पुरानी एजेंसी में ही रह जाती है।
7. कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अल्पार्थियों को नुकसान हो रहा है।

8. प्रत्येक वर्ष एजेन्सियों के परिवर्तन के कारण EPF तथा ESI खातों का विभागों द्वारा मानीटरिंग एवं एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई हो रही है।
9. EPF तथा ESI से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना से मृत्यु/विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक भंडान एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कर्मिकों को नहीं मिला रहा है।
10. SC/ST/OBC/दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं की जा रही है।
11. इन समस्त समस्याओं से कर्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है।
12. जी०एस०टी० 18% एवं कमीशन 4.5% के रूप में कुल 22-5% राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय-भार।

समाधान (Solutions)

1. आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम के गठन की आवश्यकता है।
2. एक पारदर्शी एवं केन्द्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर भयन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
3. आउटसोर्सिंग कार्मिकों को पूर्ण निर्धारित मानदेय, EPF तथा ESI की धनराशि जमा करना एवं समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा।
4. आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवायें समाप्त करना, एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्मिकों के उत्पीड़न को समाप्त करना।
5. निगम का गठन कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा-8 के अन्तर्गत नॉन प्राफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित।
6. निगम बन स्टाम शॉप होगा। सभी विभागों/संस्थाओं/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थायें को आउटसोर्सिंग कार्मिक उपलब्ध करायेगा।
7. गठन के पश्चात् पूर्व से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवायें यथावत् रहेंगी एवं कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जायेगा।

निगम के उद्देश्य

1. रिस्कलड, सेमी रिस्कलड एवं अनरिस्कलड सैनभावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं में उपलब्ध कराना।
2. बिना किसी उत्पीड़न के नियमों व कानूनों के अन्तर्गत स्टेड्यूटरी ब्यूज के साथ पूर्ण इम्प्लूमेंट का भुगतान सुनिश्चित करना।
3. प्रत्येक माह की 01 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना।
4. प्रोफेशनल और कन्सल्टिंग आर्गनाइजेशन एवं कन्सल्टेन्स को सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों/संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

परिणाम (Outcomes)

1. आउटसोर्स कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 01 तारीख को सुनिश्चित किया जायेगा।
2. निर्धारित मानकों (Parameters) द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
3. समस्त आउटसोर्स नैनपावर के EPF तथा ESI के खाते अनिवार्य रूप से खोलना एवं समय से एवं पूर्ण भुगतान किया जायेगा।
4. EPF तथा ESI से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए कार्मिक को निगम के पोर्टल पर आवेदन करेगा तथा निगम द्वारा समस्त लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से किसी भी संबंधित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

(A) ESI से प्राप्त होने वाले लाभ :-

1. समस्त महिला कार्मिकों को 180 दिन (छ: माह) पेड मैट्रिनिटी लीव (प्रथम एवं द्वितीय डिलीवरी पर) एवं मिस्तकैरेज होने पर 42 दिनों का पेड मैट्रिनिटी लीव प्रदान किया जायेगा।
2. अस्वस्थता की स्थिति में 91 दिन तक 70% पेड लीव एवं असाध्य रोग की स्थिति में 124 से 309 दिनों तक 80% पेड लीव दिया जायेगा तथा विशेष परिस्थितियों में यह 730 दिनों (02 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

3. कर्मियों एवं उनके परिवार को सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ ESI विधित्वालय/ESI द्वारा इम्पैन्ल्ड प्राइवेट नर्ली स्पेशलिटी विधित्वालयों में मुफ्त उपचार, राज्य विधित्वालय उपलब्ध करादी जायेगी एवं सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाएँ ESI विधित्वालय में ESI द्वारा इम्पैन्ल्ड, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स पर मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराई जायेगी। उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में 07 सुपर स्पेशलिटी विधित्वालय/ डायग्नोस्टिक सेन्टर्स इम्पैन्ल्ड है।

4. ESI मेडिकल/डिप्टल/नर्सिंग कालेज एवं अन्य सरकारी मेडिकल कालेजों में एनओबीवीएस्ड, बीएबीएस्ड, बीएचएसीओ नर्सिंग कोर्स में आउटसोर्सिंग कर्मियों के बच्चों हेतु नियमित सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कर्मिक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अश्विन संस्कार हेतु रू० 15,000/- परिवार के सदस्यों को दिये जायेगे।

(B) EPF से प्राप्त होने वाले लाभ :-

1. भूमिक की पुरचटना से मृत्यु होने पर रू० 2.50 लाख से रू० 7 लाख तक की धनराशि परिवार को दी जायेगी।
2. 60 वर्ष के बाद सेवा-अवधि के आधार पर रू० 1000 से रू० 7500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी।
3. विधवा को रू० 1000 से रू० 2900 आजीवन पेंशन दी जायेगी।
4. अविवाहित कर्मिक की मृत्यु पर उनके माता-पिता को आजीवन रू० 1000 से रू० 2900 पेंशन दी जायेगी।

(C) राज्य सरकार को प्रस्तावित प्रकरण :-

1. आउटसोर्स कार्मिकों को वर्ष में 12 आवधिक अवकाश प्रस्तावित है।
2. समस्त कार्मिकों को 10 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रस्तावित है।
3. कार्मिक को शासकीय कार्यक्षेत्र मुख्यालय से बाहर जाने पर निर्दिष्ट धनराशि (T.A./D.A.) विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
4. कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर ₹ 2 लाख एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹ 5 लाख EX-gratia के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।

(D) बैंक से प्राप्त होने वाले लाभ :-

1. दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर बैंक द्वारा ₹ 30 लाख तक की धनराशि कार्मिक के परिवार को दी जायेगी। इस हेतु कार्मिक को किसी प्रकार का प्रीमियम देय नहीं होगा।

(E) निगम से प्राप्ता होने वाले लाभ :-

1. प्रत्येक माह की 01 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. ESI, EPF एवं बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
3. कार्मिकों की कार्यक्षमता/क्षमता बढ़ाये जाने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4. राज्य सरकार को 18% (9% CGST + 9% SGST) + 4.5% कमीशन अर्थात् कुल 22.5% की बचत होगी।
5. श्रेणी-4 के कार्मिकों की ऐसी शालिकाओं के लिए जो मेडिकिन में चयनित हुई हैं, अथवा एम0टेक0, आई0आई0टी0,आई0आई0एम0, पी0एच0डी0 हेतु चयनित, यू0पी0एस0सी0 की मुख्य परीक्षा में चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों को निगम के वेल्फेयर फण्डस से एक लाख रु0 दिए जायेंगे। उपरोक्त सुविधा एक परिवार में एक शालिका को एक ही बार अनुमत्त होगी।
6. EPF/ESI में जमा धनराशि की जानकारी नोब्राइल पर मैसेज/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
7. निगम कार्यालय पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड/पेपर लेस होगा एवं आनलाइन के माध्यम से कार्य करेगा।

आर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक संरचना

- (A) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
- (B) सलाहकार समिति
- (C) निगम कार्यालय
- (D-1) शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति
- (D-2) मण्डल स्तर की समिति
- (D-3) जिला स्तर की समिति

(A) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स :-

1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समग्र रणनीतिक दिशा और नीतियाँ प्रदान करना, निगम के प्रबंधन संवाहलन को सुनिश्चित करना
2. निगम के बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करना।
3. निगम मुख्यालय के भद चुजन एवं वेतन निर्धारण करना आदि।

1.	बोर्ड का अध्यक्ष	मुख्य सचिव
2.	प्रबंध निदेशक	फॉंडर पोस्ट
3.	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर	03 पद
4.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग
5.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग
7.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग
8.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
9.	डायरेक्टर 02 पद	मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ

(B) सलाहकार समिति

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 04 सदस्यों को नामित करेगा :-

1	जिलाधिकारी
2	प्रतिष्ठित उद्योगपति
3	टेक्नोक्रेट
4	स्ट्रेटिजिस्ट

यह समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी सलाह देगी।

(C) निगम मुख्यालय :- निगम मुख्यालय द्वारा निगम के उद्देश्य एवं आउटकम हेतु कार्य किया जायेगा तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	नियुक्ति प्रक्रिया	वेतन/मानदेय (रु.)
1.	मैनेजिंग डायरेक्टर	1	कैंडिडेट	वेतनमान के अनुसार
2.	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर	3	ऑन डेप्युटेशन प्रवाइंट डायरेक्टर रैंक	वेतनमान के अनुसार
3.	जनरल मैनेजर	3	आउटसोर्सिंग	1,00,000/-
4.	मैनेजर (ऑपरेशन, एचआर, प्रशासन, विल एवं लेखा, आईटी, लीगल)	5	आउटसोर्सिंग	40,000/-
5.	परॉनल असिस्टेन्ट टू मैनेजिंग डायरेक्टर	1	आउटसोर्सिंग	25,000/-
6.	सीनियर एकाउन्टेन्ट	8	डेप्युटेशन फ्रॉम ट्रेजरी	25,000/-
7.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स	40	आउटसोर्सिंग	18,500/-
8.	ऑफिस सहायकीनेट्स	12	आउटसोर्सिंग	15,000/-
9.	वाचमैन	3	आउटसोर्सिंग	15,000/-14

(D-1) शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति
शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा।

1	अध्यक्ष	1. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (उपरो शासन हेतु) 2. कुलपति/प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/संस्था के अध्यक्ष (संबंधित विभाग/ संस्था हेतु)
2	सदस्य/कन्वीनियर	विभाग के द्वितीय स्तर अधिकारी
3	सदस्य	वित्त विभाग के प्रतिनिधि/वित्त निदेशक

(D-2) मण्डल स्तरीय समिति

1	अध्यक्ष	मण्डलायुक्त
2	सदस्य/कन्वीनियर	अपर आयुक्त (प्रशासन)
3	सदस्य	संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी

(D-3) जिला स्तरीय समिति की संरचना :-

1.	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
2.	सदस्य/कन्वीनियर	मुख्य विकास अधिकारी
3.	सदस्य	संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/समस्त चिकित्सालयों/शोध संस्थान/प्राथमिक संस्थान के अध्यक्ष (नामित अधिकारी)

1. शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति, मण्डल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा कार्मिकों का भ्रजन करेंगे।

2. भ्रजनित अभ्यर्थियों को निगम के पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

3. निगम के एम0डी0 द्वारा हस्ताक्षर कर प्लेसमेंट इन्फारमेशन लेटर (PIL)/आई0डी0 कार्ड पोर्टल के माध्यम से संबंधित समिति के अध्यक्ष को प्रेषित किए जायेंगे।

4. समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर कार्मिकों को वितरित किया जायेगा।

योग्यता/मानदेय के अनुरूप श्रेणियों का निर्धारण

मैनपावर के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता एवं मानदेय के अनुरूप पदों का 04 श्रेणियों में निर्धारण का प्रस्ताव किया जाता है।

क्र.सं.	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	मानदेय की दर (प्रतिमाह) (₹)
1.	श्रेणी-1 लेबवरर/प्रोजेक्ट ऑफीसर/एकान्टेन्ट ऑफीसर/असिस्टेन्ट ऑफीसेकट आदि।	स्नातक एवं अधिनामी अर्हता	25,000/-
2.	श्रेणी-2 सीनियर असिस्टेन्ट/सीनियर स्टैनो/सीनियर एकाउन्टेन्ट/आटा प्रोसेसिंग ऑफिसर/जूनियर इंजीनियर/डीगल असिस्टेन्ट आदि।	स्नातक एवं अधिनामी अर्हता	21,500/-
3.	श्रेणी-3 जूनियर असिस्टेन्ट/जूनियर स्टैनो/टाइपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर/स्टोरकीपर/फोटोग्राफर/आटा इन्ट्री ऑपरेटर/आटा प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट/इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/फिटर/लैबोरेटियन/लैब असिस्टेन्ट/सुपरवाइजर/मैनेजर/ड्राइवर आदि।	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण	18,600/-
4.	श्रेणी-4 स्वीपर/ऑफिस सवाईंगल/वाचमैन/माली/बुक/बोकीबंद/लिफ्ट ऑपरेटर/लैब अटेन्डेन्ट/चार्ज ब्याय/रिकार्ड असिस्टेन्ट/अर्दली/अनुसूचक/भेट/क्लीनर/असिस्टेन्ट पम्प ऑपरेटर आदि।	कक्षा-10/कक्षा-8 उत्तीर्ण	15,000/-

चयन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी का आयु, पद हेतु निर्धारित योग्यता, पद के लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित नानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्थानीय (जनपदीय) निवास के आधार पर की जायेगी। किसी भी पद हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
2. विधवा/तलाकशुदा/परित्याज महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।
3. अधिक आय, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. चयनित आउटसोर्सिंग कर्मिकों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम (UPCOS) को भेजी जायेगी।
5. निगम (UPCOS) द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग कर्मिकों के प्लेसमेंट इन्फार्मेशन लेटर/आईडीडी कार्ड एनडीडी द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. निगम (UPCOS) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लेसमेंट इन्फार्मेशन लेटर पर कुलपति, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष (HOD), संस्था के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वितरित किया जायेगा।
7. विभिन्न विभागों/संस्थाओं आदि में पूर्व से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मिक निगम (UPCOS) को हस्तान्तरित (मिग्रेट) हो जायेंगे।